<u>पत्र सूचना शाखा</u>

<u>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0</u>

राज्यपाल को लोकायुक्त ने 'वार्षिक प्रतिवेदन-2014' सौपा

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपेक्षित कार्यवाही से ससमय अवगत कराने को कहा

लखनऊः 6 मई, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक को आज लोकायुक्त, न्यायमूर्ति एन0के0 मेहरोत्रा ने राजभवन में मिलकर लोकायुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन-2014 प्रस्तुत किया। लोकायुक्त ने राज्यपाल को विभिन्न पूर्व मंत्रियों व लोक सेवकों आदि के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर की गयी जाँच से संबंधित विवरण देते हुए लोकायुक्त संगठन द्वारा प्राप्त शिकायतों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, लोकायुक्त/उपलोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत पे्रषित किये गये विशेष प्रत्यावेदनों एवं लोकायुक्त/उप लोकायुक्त द्वारा सौंपी गयी जाँच रिपोर्टो पर राज्य सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराया है।

श्री एन0के0 मेहरोत्रा, लोकायुक्त ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के विक्रय में की गयी अनियमितताओं तथा राज्य सरकार को कारित हुई हानि के संबंध में महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा पे्रषित किये गये विशेष प्रतिवेदन में संबंधित लोक सेवकों के उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु की गयी संस्तुतियों का उल्लेख करते हुए महालेखाकार के उक्त प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की सक्षम समिति द्वारा निर्णय लिये जाने हेतु उसे उत्तर प्रदेश विधान सभा की सक्षम समिति को सौंपने की अपेक्षा की है।

श्री नाईक ने मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव को लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन-2014 को भेजते हुए पत्र लिखकर अपेक्षा की है कि लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन-2014 पर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए उन्हें भी अवगत करायें।

राज्यपाल ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि उनके द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्रषित किये गये स्मरण पत्र के साथ लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त द्वारा उन्हें प्रषित किये गये कुल 43 विशेष प्रतिवेदनों में से दिनांक 31 मार्च, 2015 तक केवल 20 प्रकरणों में ही उनसे से अथवा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन से स्पष्टीकरण-ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और केवल 01 प्रकरण को लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदन एवं राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से अवगत कराया गया है तथा शेष 23 प्रकरणों में स्पष्टीकरण ज्ञापन शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की भी अपेक्षा की गयी थी जो अभी तक अप्राप्त है।